| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 101, Satya Niketan | Owner/Builder (Name of owner/ builder could not be ascertained) | Unauthorised construction of work of digging for base- u/a constn. laid roof on walls & pillars at GF & raising walls & pillars at F.F. | Also partly the damaged ment further |
| B. | *Details of properties tampered by the* | *the seal of which was Owner/Builder.* | | |
| 1 | 223, Satya Niketan | Sh. Radhey Shyam | | Reseacl |
| 2 | 282, Satya Niketan | Sh. Baru | | Reseal |
| 3 | 101, Satya Niketan | Owner/Builder (Name of owner/ builder could be ascertained). | not | Reseal |

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास**

686. **श्री राम नरेश यादव :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में आबादी के दबाव को कम करने के उद्देश्य से आठवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) :** हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि हेतु एक निवेश योजना तैयार की है।

(ख) ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ग) धनराशि को खर्च करना निधियों के नियतन पर निर्भर करता है।

**विवरण**

आठवीं योजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विशेष आवश्यकतायें

| राज्य क्षेत्र | (करोड़ रुपये) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| **राज्य क्षेत्र :** | |
| 1. निम्नांकित के लिए भूमि अधिग्रहण और विकास | |
| (क) रिहायशी उपयोग<br>(ख) आर्थिक क्रियाकलाप | 648.00 |
| 2. उप-क्षेत्रीय केन्द्रों का विकास | 66.00 |
| 3. काउन्टर मैग्नेट क्षेत्रों का विकास | 100.00 |
| 4. ब्याज दर के अंतरों को कम करना | 10.00 |

| राज्य क्षेत्र | करोड़ रुपए |
|---|---|
| 5. योजना कार्यान्वयन हेतु सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण | 5.00 |
| 6. क्षेत्रीय मार्गों का उन्नयन (आंतरिक और बाहरी ग्रिडें) | 176.00 |
| 7. विद्युत विकास | (चर्चा अधीन) |
| 8. दिल्ली महानगरीय क्षेत्र और प्राथमिकता नगरों में शहरी अधसंरचना का सुदृढ़ीकरण और सुधार | 111.00 |
| योग : | 1116.00 |
| **केन्द्रीय क्षेत्र :** | |
| राष्ट्रीय राजमार्ग (भूतल परिवहन मंत्रालय) | 259.00 |
| एक्सप्रेस मार्ग (भूतल परिवहन मंत्रालय) | 95.00 |
| रेल मार्ग (रेल मंत्रालय) | 443.00 |
| दूर संचार (दूर संचार विभाग) | |
| (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में | 375.00 |
| (ख) काउन्टर मैग्नेट क्षेत्र | 155.00 |
| योग : | 1327.00 |

**स्वतंत्रता सेनानियों को आवास का आवंटन**

687. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सेनानियों को दिल्ली में आवास के आवंटन संबंधी नीति क्या है ;

(ख) इस योजना के अधीन किन-किन स्वतंत्रता सेनानियों को आवास आवंटित किये गये हैं ;

(ग) उन्हें कितनी अवधि के लिए आवास का आवंटन किया जाता है और उनसे आवास किराये की वसूली किस प्रकार से की जाती है; और

(घ) उनके अलावा ऐसे अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या कितनी है जिन्होंने दिल्ली में आवास के आवंटन के लिए अभ्यावेदन किया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) विवरण I तथा II के अनुसार। (नीचे देखिए)

(घ) इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं रखे गये हैं।

**विवरण-I**

सं० 12016(2)/80-नीति-II (खण्ड-III (I)

**भारत सरकार**
**सम्पदा निदेशालय**

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 85

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय -स्वतन्त्रता सेनानियों को साधारण पूल आवास के आवंटन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों का पुनरीक्षण।**

मंत्रिमंडल की आवास-समिति ने 12 सितम्बर, 1985 को आयोजित अपनी बैठक में स्वतन्त्रता सेनानियों को साधारण